

## भारत में वन्यजीव संरक्षण का पुनःक्रमण

यह संपादकीय 04/10/2024 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “[Elephant in the room](#)” पर आधारित है। यह लेख भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में असमानता को प्रदर्शित करता है, जहाँ बाघों जैसी प्रजातियों में प्रगति देखी गई है, जबकि हाथियों को उपेक्षा और उनकी संख्या में कमी देखी गई है। यह पर्यावास ह्रास और मानव-पशु संघर्षों को संबोधित करने के लिये अधिक पारदर्शी, वजिज्ञान-आधारित उपागम की मांग करता है, विशेषकर हाथियों जैसी प्रजातियों के लिये।

### प्रलिस के लिये:

[भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयास, हाथी, मैंगरोव पारस्थितिकी तंत्र, स्वदेश दर्शन योजना, नशि जनजात का पारंपरिक हॉर्नबलि संरक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, बायोटेक-किसान कार्यक्रम, स्वदेश दर्शन योजना, ग्रीन इंडिया मशिन, CITES, जैवविविधता पर अभिसमय, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, पश्चिमी घाट](#)

### मेन्स के लिये:

भारत के लिये वन्यजीव संरक्षण का महत्त्व, भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक

[भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों](#) ने मशरति परणाम प्रदर्शित किये हैं, जसिमें कुछ प्रजातियों को दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया है। वर्ष 2005 के संकट के बाद, [बाघ](#) की नगिरानी के तरीकों में सुधार हुआ है और बाघों की संख्या का अधिक सटीक अनुमान लगाया गया है। यद्यपि, [हाथी](#), एक अन्य प्रतषिठित प्रजाति, पर [तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान नहीं दिया गया है](#)। हाथियों की गणना के तरीकों में हाल ही में हुए परिवर्तन [सेउनकी संख्या में पर्याप्त कमी का पता चला](#) है, परंतु सरकार ने कथित तौर पर इस महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट को टंडे बस्ते में डाल दिया है, जसिसे पारदर्शिता और संरक्षण के प्रती प्रतबिद्धता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

संरक्षण उपागमों में यह असमानता [भारत की वन्यजीव प्रबंधन कार्यनीतियों में व्यापक मुद्दों को प्रकट करती है](#)। हाथियों के पर्यावास पर मानवीय गतिविधियों का काफी प्रभाव पड़ा है, जसिसे मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। प्रभावी संरक्षण योजना और इन संघर्षों को कम करने के लिये सटीक संख्या अनुमान तथा वतिरण आँकड़ा आवश्यक हैं। वर्तमान स्थिति [भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिये अधिक व्यापक, वजिज्ञान-आधारित उपागम की आवश्यकता को रेखांकित करती है](#), विशेष रूप से हाथियों जैसी प्रजातियों के लिये, जो तेजी से परिवर्तित होते परदृश्यों में मनुष्यों के साथ अपना पर्यावास साझा करते हैं।

//

# WILDLIFE CONSERVATION INITIATIVES

## Constitutional Provisions for Wildlife

- **42nd Amendment Act, 1976:** Forests & Protection of Wild Animals and Birds (moved from State to Concurrent List)
- **Article 48 A:** State shall endeavor to protect & improve environment and safeguard forests and wildlife of country
- **Article 51 A (g):** Fundamental duty to protect & improve natural environment including forests and Wildlife

## Legal Frameworks

- Wildlife (Protection) Act, 1972
- Biological Diversity Act, 2002

## Major Conservation Initiatives

- **Integrated Development of Wildlife Habitats (IDWH):**
  - ↳ Financial assistance provided to State/UT Governments for protection and conservation of wildlife
  - ↳ A Centrally Sponsored Scheme
- **National Wildlife Action Plan (2017-2031)**
- **Guidelines for Eco-tourism in Protected Areas**
- **Human-Wildlife Conflict Mitigation**
- **Wildlife Crime Control Bureau:** To combat wildlife-related crimes
- **Wildlife Division (MoEFCC):**
  - ↳ Policy and law for conservation of biodiversity and Protected Area network
  - ↳ Technical and financial support to the State/ UTs under IDHW, Central Zoo Authority and Wildlife Institute of India

■ **Wildlife Crime Control Bureau (WCCB):** Collection, collation of intelligence & its dissemination, establishment of centralized Wild Life crime databank, coordination etc.

### Wildlife Crime Control:

- ↳ Operation Save Kurma
- ↳ Operation Thunderbird

## Species-Specific Initiatives

- Protection and conservation of Greater Adjutant in Gangetic riverine tract
- Dolphin Conservation in Non-Protected Area Segment of Ganga River
- Conservation Breeding Centre for Wild water buffalo (2020)
- Recovery programme for Snow leopard (2009)
- Recovery programme for Vultures (2006)
- Project Elephant (1992)
- Project Tiger/National Tiger Conservation Authority (NTCA) (1973)

## India's Collaboration with Global Wildlife Conservation Efforts

- ↳ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- ↳ Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
- ↳ Convention on Biological Diversity (CBD)
- ↳ World Heritage Convention
- ↳ Ramsar Convention
- ↳ The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC)
- ↳ United Nations Forum on Forests (UNFF)
- ↳ International Whaling Commission (IWC)
- ↳ International Union for Conservation of Nature (IUCN)
- ↳ Global Tiger Forum (GTF)



Drishti IAS

भारत के लिये वन्यजीव संरक्षण का क्या महत्त्व है?

- **जैवविविधता संरक्षण और पारस्थितिकी तंत्र स्थिरता:** विश्व के 17 महाविविधता वाले देशों में से एक भारत में वैश्विक भूमिक्षेत्र के मात्र 2.4% भाग में विश्व की ज्ञात जैवविविधता का लगभग 8% वदियमान है।
  - यह **समुद्र जैव विविधता पारस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को संधारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है**, जो मानव अस्तित्व के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत के समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव पारस्थितिकी तंत्र**, जो विविध प्रजातियों का निवास स्थान है, चक्रवातों और सुनामी के वरिद्ध प्राकृतिक अवरोध प्रदान करता है।
    - भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2021 के अध्ययन में बताया गया है **कसुंदरबन में मैंग्रोव ने वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान के प्रभाव को कम किया**, जिससे लाखों लोगों की रक्षा हुई।
    - इसके अतिरिक्त, भारत के वन, जो भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 21.71% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2021), **कार्बन सिके के रूप में कार्य करते हैं, जो लगभग 7,124.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को अवशोषित करते हैं।**
- **संवहनीय पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ:** वन्यजीव संरक्षण, इकोटूरजिम् के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - भारत में वन्यजीव पर्यटन की मांग वर्ष 2034 तक 7.40% CAGR की दर से बढ़ने का अनुमान है।
  - **चयनित बाघ रजिस्ट्रारों** से प्राप्त प्रवाह लाभ का मौद्रिक मूल्य प्रतिवर्ष 8.3 से 17.6 बिलियन तक है।
  - उदाहरण के लिये, **मध्य प्रदेश, जिसे 'टाइगर स्टेट' के नाम से जाना जाता है, में आने वाले पर्यटन में 30-40% की वृद्धि होने का अनुमान है**, जिसका मुख्य कारण वहाँ का वन्यजीव आकर्षण है।
  - इसके अतिरिक्त, **सुवदेश दर्शन योजना** जैसी सरकार की पहलों ने वन्यजीव पर्यटन को प्रोत्साहित किया है, स्थानीय रोजगार का सृजन किया है और संरक्षण प्रयासों को समर्थन दिया है।
- **पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत:** भारत में वन्यजीव संरक्षण आंतरिक रूप से पारंपरिक पारस्थितिकी ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है।
  - कई स्थानीय समुदायों, जैसे **राजस्थान के बशिर्नोई या अरुणाचल प्रदेश की नशिी जनजात**, की संस्कृति में लंबे समय से संरक्षण संबंधी प्रथाएँ अंतर्निहित हैं।
    - उदाहरण के लिये, **नशिी जनजात का पारंपरिक हॉर्नबिल संरक्षण** संबंधी प्रथाएँ इस प्रजात की सुरक्षा में सहायक रही हैं।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयासों में वन्यजीव संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - स्वस्थ पारस्थितिकी तंत्र चरम मौसम की घटनाओं के वरिद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं तथा कार्बन अवशोषण में सहायता करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत भारत की वर्ष 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिके** बनाने की प्रतिबद्धता, वन और वन्यजीव संरक्षण पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
  - **गरीन इंडिया मिशन** जैसी हालिया पहल, जिसका लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र की वृद्धि करना है, इस संबंध के प्रति सरकार की मान्यता को प्रदर्शित करती है।
  - इसके अतिरिक्त, जैव विविधता का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रति पारस्थितिकी तंत्र की समुतथानशीलता को संवर्धित करता है।
  - वर्ष 2015 के एक अध्ययन में कहा गया है **कजिनि क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता अधिक है, वे जलवायु परिवर्तनों के प्रति अधिक समुतथानशील हैं**, जिससे जलवायु अनुकूलन कार्यालयों में संरक्षण के महत्त्व पर बल दिया गया है।
- **जल सुरक्षा और जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण:** वन्यजीव पर्यावास, विशेषकर वन, जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और जल प्रवाह को वनियमति करके भारत की जल सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **गुरुग्राम में अरावली जैवविविधता उद्यान को वर्ष 2022 में भारत के पहले "अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय" स्थल के रूप में** हाल ही में मान्यता दी गई है, जो शहरी जैवविविधता संरक्षण और जल सुरक्षा के बीच संबंध के विषय में बढ़ती जागरूकता को प्रकट करता है, क्योंकि यह **जल-संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल के पुनर्भरण में सहायता करता है।**
- **औषध और जैव प्रौद्योगिकी क्षमता:** भारत की समृद्ध जैव विविधता में औषध और जैव प्रौद्योगिकी खोजों की अपार संभावनाएँ हैं।
  - देश का वन्यजीव अनेक औषधीय यौगिकों का स्रोत रहा है, जिसमें पारंपरिक ज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
  - उदाहरण के लिये, **भारतीय मोनोकलड कोबरा के विष से निर्मित एक नवीन सूजनरोधी दवा** का विकास इस क्षमता को प्रदर्शित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, **सरकार के बायोटेक-किसान कार्यक्रम** का उद्देश्य भारतीय जैव प्रौद्योगिकी को संरक्षण और ग्रामीण विकास से जोड़ना है तथा जैवविविधता संरक्षण के आर्थिक महत्त्व पर बल देना है।
- **अंतरराष्ट्रीय राजनय:** भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयास इसकी सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय राजनय में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - **ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम** जैसी पहलों के माध्यम से बाघ संरक्षण में देश के नेतृत्व ने इसकी वैश्विक पर्यावरणीय स्थिति को संवर्धित किया है।
  - वर्ष 2018 की बाघ गणना में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई। भारत ने बाघ संरक्षण पर **सैंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र के निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही** बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
  - इसके अतिरिक्त, **CITES और जैवविविधता पर अभिसमय (CBD)** जैसी वैश्विक संरक्षण संधियों में भारत की सक्रिय भागीदारी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वार्ता में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करती है।
  - **"द एलीफेंट व्हिसपेरर्स"**, जिसे वर्ष 2023 में **सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिये ऑस्कर दिया गया है**, भारतीय समुदायों और वन्यजीवों के बीच गहन संबंध को प्रकट करता है।

**भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता में कौन से कारक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं?**

- **अपर्याप्त नधियिन और संसाधन आवंटन: जैवविविधता का केंद्र** होने के बावजूद, वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का बजट आवंटन अपर्याप्त है।
  - **केंद्रीय बजट 2024-25** में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को **3330.37 करोड़ रुपये** आवंटित किये गए हैं।
    - इस अपर्याप्त नधियिन के कारण पर्यावास संरक्षण, शिकार-रोधी उपाय और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू प्रभावित होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **रिणथंभौर बाघ अभयारण्य** में बाघों की नगिरानी में भारी कमी आई है, जिसमें एक कर्मचारी 30 वर्ग किलोमीटर में दो बाघों की नगिरानी कर रहा है।
  - संसाधनों की कमी नगिरानी और संरक्षण के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में भी बाधा डालती है, जिससे विशाल वन क्षेत्र अवैध गतिविधियों के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि:** जैसे-जैसे मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और प्राकृतिक पर्यावासों पर अतिक्रमण हो रहा है, वन्यजीवों के साथ संघर्ष तीव्र हो गया है।
  - वगित पाँच वर्षों में **मानव-हाथी संघर्ष** के कारण **2853 लोगों की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2023 में 628 तक पहुँच जायेगी।**
    - केवल तमिलनाडु में वर्ष 2017-2020 के बीच वन्यजीवों द्वारा फसल क्षति के **7,562 मामले सामने आए।**
  - सरकार की प्रतिक्रिया प्रायः **सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक रही है तथा दीर्घकालिक समाधान के बजाय मुआवजे पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**
- **पर्यावास वखंडन और ह्रास:** तीव्र शहरीकरण और आधारिक संरचना के विकास के कारण पर्यावासों का गंभीर नुकसान और वखंडन हुआ है।
  - भारत ने वर्ष 2000 से अब तक **2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं ने महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को और अधिक वखंडित कर दिया है।**
  - गोवा के मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान का मामला इस मुद्दे का उदाहरण है, जहाँ तीन रेखीय परियोजनाएँ मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के वनों के लिये खतरा बन गई हैं।
  - हानिकारक प्रभावों के वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद, ऐसी परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय मंजूरी में प्रायः संरक्षण की तुलना में विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अधिक संतुलित नरिणयन की प्रक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है।
- **वन्यजीव कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** यद्यपि भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिये सुदृढ़ कानून हैं, फेरि भी उनका कार्यान्वयन प्रायः अपर्याप्त रहता है।
  - वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच **वन्यजीव अपराध नरिणयन बयूरो** ने 717 संयुक्त अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप **1488 वन्यजीव अपराधियों को हरासात में लिया गया, परंतु दोषसिद्धि की गति बहुत धीमी रही।**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, संशोधनों के बावजूद, वन विभाग कम कर्मचारियों तथा परवरतन कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रभावी परवरतन के लिये संघर्ष करता है।
  - फोरेंसिक सुविधाओं की कमी, न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब और विभिन्न परवरतन एजेंसियों के बीच अपर्याप्त समन्वय वन्यजीव कानूनों के कार्यान्वयन को और कमजोर करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन भारत के वन्य जीवन के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है, फेरि भी संरक्षण कार्यानीतियों प्रायः इस चुनौती से नपिटने में वफिल रहती हैं।
  - **वर्द्धित तापमान और परवरतित होते वर्षा प्रारूप के कारण** पर्यावास और प्रवास प्रारूप में परिवर्तन आ रहा है।
  - चरम मौसम के कारण वर्ष 2050 तक **पश्चिमी घाट** की लगभग **33% जैव विविधता नष्ट हो जाएगी।**
    - यह अपरिवर्तनीय है। इस परिवर्तन के तहत, वन सदाबहार से पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में परिवर्तित हो जाएंगे।
  - बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थिति विशाल मैंग्रोव डेल्टा, **सुंदरवन में पछिले दो दशकों में समुद्र का स्तर औसतन 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ गया है, जिसके कारण विश्व में तटीय अपरदन की दर सबसे तीव्र हो गई है।**
  - इन भयावह भवषियवाणियों के बावजूद, वन्यजीव संरक्षण में जलवायु अनुकूलन कार्यानीतियों अवकिसति और अपर्याप्त वतितपोषति बनी हुई हैं तथा केवल कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ही जलवायु कार्य योजनाएँ हैं।
- **सामुदायिक भागीदारी और सतत् आजीविका वकिलपों का अभाव:** संरक्षण पर्यासों में प्रायः संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों की जरूरतों को नजरअंदाज़ कर दिया जाता है।
  - संरक्षण के प्रति पारंपरिक **अधोमुखी उपागम के** कारण पृथकीकरण और संघर्ष में वृद्धि हुई है।
  - यद्यपि **इकोटूरजिम** जैसी पहल मौजूद हैं, परंतु वे प्रायः स्थानीय समुदायों को पर्याप्त लाभ प्रदान करने में वफिल रहती हैं।
    - **कुनों में चीतों के लिए जाने से एक तरह से स्थानीय समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया है, जिससे उन्हें वादा किये गए मुआवजे या स्थायी आजीविका से वंचित होना पड़ा है, जबकि परियटन लाभ से वसिथापित लोगों को कोई लाभ नहीं मलि पा रहा है।**
    - संरक्षण लक्ष्यों और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच यह वसिगता दीर्घकालिक संरक्षण सफलता को कमजोर करती है और वन्यजीव संरक्षण पर्यासों के लिये स्थानीय समर्थन में कमी लाती है।
- **अपर्याप्त वैज्ञानिक अनुसंधान और नगिरानी:** वशिषिट और स्वदेशी विधि पारसिथितिकी प्रणालियों के होने के बावजूद, वन्यजीव अनुसंधान में भारत का नविश कम है।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का योगदान केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास व्यय का केवल **0.8% है।**
  - हाथियों की संख्या के अनुमान को लेकर हाल ही में उठे विवाद में, जहाँ सरकार ने कथित तौर पर कमी दिखाने वाली रिपोर्ट को टंडे बसते में डाल दिया, वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करने और उसका उपयोग करने में चुनौतियों को प्रकट करता है।
  - इसके अतरिकित, कई प्रजातियों, विशेषकर कम ज्ञात प्रजातियों, पर दीर्घकालिक संख्या अध्ययन का अभाव है। 140 वर्ष बाद पुनः अन्वेषति की गई एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति [?][?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?] पश्चिमी घाट के एक गैर-संरक्षित क्षेत्र में पाई गई, जो इस मुद्दे की गंभीरता को प्रकट करती है।
- **राजनीतिक और आर्थिक दबाव का संरक्षण आवश्यकताओं पर अध्यारोहण:** नीतगित नरिणयों में प्रायः आर्थिक विकास को संरक्षण पर प्राथमिकता दी जाती है।

- इज़ ऑफ डूइंग बजिनस संबंधी पहलों के कारण कभी-कभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों में कमी आ जाती है।
- उदाहरण के लिये, [पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020](#) का उद्देश्य सार्वजनिक परामर्श अवधि को कम करना और कुछ परियोजनाओं को जांच से छूट देना था, जो संभावित रूप से वन्यजीव पर्यावासों को प्रभावित कर सकती थीं।
- इसी प्रकार, [आधारिक संरचना के विकास के लिये पर्यास](#), हालाँकि आवश्यक है, कभी-कभी वन्यजीवन की मूल्य पर कथित जाता है।
  - [ग्रेट इंडियन बस्टर्ड](#) का मामला, जहाँ इसके पर्यावास में बजिली लाइनों ने इसकी संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट में योगदान दिया है, यह प्रदर्शित करता है कि कैसे अच्छी मंशा से कथित गया विकास भी, यदि उचित रूप से योजनाबद्ध न हो, तो संरक्षण पर्यासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

## भारत में वन्यजीव संरक्षण पर्यासों को पुनःकर्मति करने के लिये क्या उपाय अंगीकृत कथित जा सकते हैं?

- **नधियिन और संसाधन आवंटन में वृद्धि:** वन्यजीव संरक्षण के लिये बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिये। **भूटान के सफल भूटान फॉर लाइफ फंड** की तरह **ग्रीन बॉन्ड और संरक्षण ट्रस्ट फंड जैसे अभिनव नधियिन प्रणाली को कार्यान्वित कथित जाना चाहिये।**
  - संरक्षण परियोजनाओं के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नधि के आवंटन को प्राथमिकता देना चाहिये।
  - **संरक्षण के लिये सार्वजनिक-नजि भागीदारी** स्थापित कथित जाना चाहिये, **सतपुड़ा लैंडस्केप टाइगर पार्क** जैसे मॉडलों का अनुसरण करना चाहिये, जसिने मध्य भारत में सफलता का प्रदर्शन कथित है।
  - उन्नत संरक्षण प्रौद्योगिकियों, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित अवैध शिकार वरिधी प्रणालियाँ और पर्यावास नगिरानी के लिये सुदूर संवेदन, के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिये एक समर्पित **वन्यजीव प्रौद्योगिकी कोष का नरिमाण करना चाहिये।**
- **व्यापक मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन कार्यान्वयन का कार्यान्वयन:** स्थानीय पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों पर वचिर करते हुए राज्य-वशिषिट मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) शमन योजनाओं को वकिसति और कार्यान्वित करना चाहिये।
  - **तमलिनाडु के वलपराई में SMS-आधारित चेतवनी प्रणाली** जैसी **पूर्व चेतवनी प्रणालियों के उपयोग का** वसितार करना चाहिये, जसिसे मानव-हाथी संघर्ष में कमी आई है।
  - **सौर ऊर्जा चालित बाड और जैव-बाड जैसी भौतिक बाधाओं में नविश** में वृद्धि की जानी चाहिये।
  - **KVIC** ने मधुमक्खी बाड बनाकर **मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिये प्रोजेक्ट री-हैब** का शुभारंभ कथित, जसिसे **हाथियों को मधुमक्खियों का उपयोग करके रोका जा सके।**
    - यह नवीन, लागत प्रभावी वधि मनुष्यों और हाथियों दोनों को होने वाले नुकसान से बचाती है तथा संघर्ष का स्थायी समाधान सुनिश्चित करती है।
- **पर्यावास संपर्क और गलथिरे की पुनःप्राप्त को प्राथमिकता:** देश भर में महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलथिरों की पहचान, सुरक्षा और पुनःस्थापना के लिये राष्ट्रीय वन्यजीव गलथिरा कार्यक्रम शुरू करना चाहिये।
  - **रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की वर्ष 2019** की रिपोर्ट की सफिरशियों को कार्यान्वित करते हुए पशु गलथिरों को पार करने वाली सभी नई परियोजनाओं में वन्यजीव मार्ग को अनविार्य करना चाहिये।
  - **नगालैंड में सामुदायिक संरक्षित कषेत्र** जैसी पहलों के माध्यम से गलथिरा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिये।
  - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और वन्यजीव पदांकन ऑकड़ा का उपयोग नरितर नगिरानी और **गलथिरा प्रबंधन कार्यान्वयन को अनुकूलित करने के लिये कथित जाएगा, जैसा कि मध्य भारतीय परदृश्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान की गलथिरा मानचित्रण परियोजना** द्वारा प्रदर्शित कथित गया है।
- **वन्यजीव वधि प्रवर्तन और अवैध शिकार वरिधी उपायों का सुदृढीकरण:** सभी बाघ अभयारण्यों में **M-STRIPES (बाघों की गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकी स्थिति के लिये नगिरानी प्रणाली)** के अनविार्य उपयोग को कार्यान्वित और अन्य संरक्षित कषेत्रों में इसके उपयोग का वसितार कथित जाना चाहिये।
  - नयिमति प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमाणन के माध्यम से वन कर्मचारियों की क्षमता नरिमाण में नविश कथित जाना चाहिये।
  - थर्मल इमेजिंग कैमरे और ध्वनिक जाल **जैसी उन्नत शिकार-रोधी प्रौद्योगिकियों को** कार्यान्वित कथित जाना चाहिये, जैसा कि **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक प्रयोग कथित गया है**, जसिसे गैंडों के अवैध शिकार में कमी आणी।
  - **नयिमति संयुक्त अभियान और सूचना साझाकरण** के माध्यम से वन्यजीव अपराध पर अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ करना चाहिये।
- **संरक्षण योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का समेकन:** सभी प्रमुख संरक्षित कषेत्रों के लिये **जलवायु-समेकित संरक्षण योजनाएं** वकिसति की जा सकती है।
  - भूदृश्य समुत्थानशीलता में वृद्धि के लिये **बफर कषेत्रों और वन्यजीव गलथिरों में जलवायु-स्मार्ट कृषि और कृषिवानिकी को संवर्द्धित कथित जाना चाहिये।**
  - **भारतीय जैव विविधता पोर्टल** जैसी नागरिक वजिज्ञान पहलों का लाभ उठाते हुए, वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना चाहिये।
- **सामुदायिक भागीदारी का संवर्द्धन:** उत्तराखंड की वन पंचायतों जैसे सफल समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल को संवर्द्धित कथित जा सकता है।
  - **मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य** के मॉडल का अनुसरण करते हुए, स्थानीय समुदायों को सीधे लाभ पहुँचाने वाली इकोटूरजिम् पहलों का वसितार कथित जाना चाहिये।
  - संरक्षण-संगत कषेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के लिये कौशल नरिमाण कार्यक्रम वकिसति कथित जा सकता है, जैसे कि ओडिशा में **CAMPA- वतित पोषित कौशल पहल।**
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और नगिरानी को प्रोत्साहन:** दीर्घकालिक पारिस्थितिक अध्ययन और नवीन अनुसंधान को समर्थन देने के लिये एक समर्पित **वन्यजीव अनुसंधान कोष की स्थापना की जानी चाहिये।**
  - **मलेशिया के दानम वैली फीलड सेंटर** के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रमुख जैवविविधता हॉटस्पॉट में कषेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों का

एक नेटवर्क का निर्माण करना चाहिये।

- अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास की सफलता के आधार पर, विभिन्न वर्गों और पारिस्थितिकी प्रणालियों में मानकीकृत वन्यजीव नगिरानी प्रोटोकॉल का एक समूह विकसित और कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

- पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाओं का संरेखन: सभी प्रमुख विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये एक व्यापक कार्यनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन (SEA) प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सकता है।

- आधारिक संरचना की योजना के लिये प्रजाति-विशिष्ट संवेदनशीलता मानचित्रों का विकास और उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिये संचयी प्रभाव मूल्यांकन की प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सकता है।

## नषिकर्षः

भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर तत्काल ध्यान देने और अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विज्ञान-आधारित उपागमों की ओर स्थानांतरण की आवश्यकता है। नधियिन अंतराल को संबोधित करके, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाकर और पर्यावास संरक्षण को प्राथमिकता देकर, देश अपनी समृद्ध जैवविविधता की रक्षा कर सकता है तथा वन्यजीवों और मानव आबादी के बीच स्थायी सह-अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है। प्रभावी संरक्षण के लिये एक ठोस प्रयास आवश्यक है जो हाथियों जैसी प्रमुख प्रजातियों और उनके पर्यावास की संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की रक्षा करता है।

????? ???? ????:

Q. भारत में वन्यजीव संरक्षण पहलों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। ये चुनौतियाँ वदियमान संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को कैसे अवमूल्यति करती हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित् वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. यद किसी पौधे की वशिष्ट जात को वन्यजीव सुरक्षा अधनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है?

- (a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
- (b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती।
- (c) यह एक आनुवंशिकितः रूपांतरित फसली पौधा है।
- (d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिये हानिकारक होता है।

उत्तर: (a)

Q. नमिनलखिति में से कौन-से भौगोलिक क्षेत्र में जैवविविधता के लिये संकट हो सकते हैं?

1. वैश्विक तापन
2. आवास का वखिण्डन
3. वदिशी जात का संक्रमण
4. शाकाहार को प्रोत्साहन

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही. उत्तर चुनिये :

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

?????

Q. भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग अलग पाई जाती है? वनस्पतजात और प्राणजात के संरक्षण में जैवविविधता अधनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)

